केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु°)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S.Marg, New Delhi-110016.
दूरभाष/ Tel.: 26858570 फ़ैक्स/Fax 26514179
वैबसाइट/ Website: www.kvsangathan.nic.in
Email-kvsacfinance2@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.No.11-Aud0Misc (KVHQ)/14/2021/Audit/E.12213/ 464 – 496 दिनांक: 06.08.21

ई मेल/ वैबसाइट

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

विषय: केविसं में नई सीधी भर्ती पर लागू 02 लाख रुपये के सेवा अनुबंध-सह-जमानत बांड व्यवस्था के विनियमन पर स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आपके कार्यालय पत्र संख्या फ़ा 25044/2021/केविसं(कोलकाता)/प्रशा./673, दिनांक 23.04.2021 के संदर्भ में, आपके द्वारा श्री विवेक कुमार, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, केवी गार्डन रीच के तकनीकी इस्तीफे पर सेवा अनुबंध-सह-जमानत बांड के लिए 2 लाख रुपये की छूट को विनियमित करने हेतु स्पष्टीकरण देने का निवेदन किया गया है, ताकि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के एनसीसी विभाग में कार्यभार ग्रहण कर सकें, क्योंकि उन्होंने दिनांक 01.02.2020 को केविसं में कार्यभार ग्रहण करने के, एक वर्ष के अंतर्गत ही दिनांक 26.2.2020 को प्राचार्य को इसकी जानकारी दे दी थी।

2. इस प्रकार से, केविसं में बांड व्यवस्था को विनियमित करने के मामले की जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28.21/1/84-स्था (सी), दिनांक 14.11.1984, में निहित प्रावधानों के तहत की गई है, जो स्वायत्त निकायों पर भी लागू होता है। नियमों में यह समाविष्ट किया गया हैं कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार/पीएसई/सीएबी के किसी भी कर्मचारी के मामले को, जिसने मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने पर एक निर्धारित अवधि हेतु किसी भी प्रकार के बांड को निष्पादित किया है, तथा वह तुरंत एक वर्ष के भीतर समुचित अनुमति (टीपीसी) / सूचना के साथ वर्तमान नियोक्ता के पास अन्य **सरकारी क्षेत्र (निजी रोजगार के अलावा)** में एक नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहता है, जिसके लिए उसने विभाग/ संगठन इत्यादि में जाने के लिए पहले से आवेदन किया था, ऐसे मे उन्हे तकनीकी इस्तीफे पर कार्यमुक्त होने की अनुमति दी जा सकती है, यदि अन्यथा वह पात्र है, तो इस शर्त के साथ कार्यभार मुक्त किया जा सकता है ताकि वे नए विभाग में कम से कम शेष अवधि के लिए सेवा सुनिश्चित करने हेतु ,उनसे एक नया बांड लेने के लिए सुनिश्चित किया जा सके ,अन्यथा मूल बांड के तहत कुल निर्धारित सेवा की शेष अवधि के संबंध में आनुपातिक राशि, पूर्ववती विभाग में छोड़ी गई सेवा हेतु पद्धाही से वसूली जाएगी एवं उसे पूर्ववर्ती विभाग को वापस भेजी जाएगी जिसके साथ उनके द्वारा मूल बांड किया गया था। हालांकि अन्य तकनीकी औपचारिकताओं के अलावा इस्तीफे के मामले में निवर्तमान कर्मचारी से शेष बांड अवधि हेतु आनुपातिक राशि उसकी कार्यभार मुक्ति से पहले ही वसूली जाएगी।

कृ पृ उ >>>

3. तदनुसार, यह निर्णीत हुआ है कि केविसं में बांड व्यवस्था को उपरोक्त पैरा 2 में समाविष्ट की गई स्थिति के अनुसार विनियमित किया जाएगा। अत: उक्त कर्मचारी के अभ्यावेदन का तदनुसार निपटान कर दिया जाए तथा इस प्रकार के भविष्य में अन्य मामले, यदि कोई हों तो, उनका निपटान भी उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में ही किया जाएगा ।

यह पत्र आयुक्त, केविसं के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(ओ एस श्यौरान)
सहायक आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त/निदेशक,समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों को इस आशय से प्रेषित कि वे ऐसे सभी मामले/मामलों, यदि कोई हो, को उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही निष्पादित करें ।

2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केविसं (मुख्यालय) को उनकी ई-फाइल संख्या 11768 में दर्ज नोट के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

3. उपायुक्त (शैक्षिक)/(ईडीपी), केविसं (मुख्यालय) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे सभी संबंधित की जानकारी हेतु इसे केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करें ।